

॥ कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर ॥

प्रैस-नोट

दिनांक:- 05.03.2018

ओएलएक्स पर कार खरीदने का झांसा देकर 80000 रूपये लूटने के एक आरोपी को किया गिरफ्तार

1. **थाना सीकरी:-** मुरारीनगर थाना सीपरी बाजार जिला झांसी एम0पी0 निवासी रामपालसिंह पुत्र देशराजसिंह जाति यादव व उसके साथियों से 7 अज्ञात व्यक्तियों ने धोखे से ओ0एल0एक्स0 पर झांसा देकर कार खरीदने के बहाने बुलाकर गांव बनैनी चन्दा के जंगल के पास से 80000 रूपये, 4 मोबाईल, एक सोने की चैन, एक सोने की अंगूठी व 2 एटीएम कार्ड छीन लेने का एक मामला दिनांक 03.02.2018 को थाना सीकरी पर मु0न0 31/18 धारा 382 भा0द0सं0 में पंजीबद्ध कराया था। श्री भूरीसिंह स0उ0नि0 ने दौराने अनुसंधान उक्त मामले के आरोपी 1. मजलस पुत्र भुल्ला जाति मेव निवासी उडकीदल्ला थाना सीकरी को गिरफ्तार कर आरोपी से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है।

छेडछाड के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार

1. **थाना उच्चैन:-** गांव चकखरका थाना उच्चैन निवासी एक व्यक्ति ने गांव बंजी निवासी रतनसिंह वगैराह 8 जनों के विरुद्ध प्रार्थी के घर में घुसकर प्रार्थी के साथ मारपीट कर घर की औरतो बेअदव करने का एक मामला दिनांक 10.02.2018 को थाना उच्चैन पर मु0नं0 36/18 धारा 323, 341, 354, 34 आई0पी0सी0 में पंजीबद्ध कराया था। श्री रामूसिंह हैड कानि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी 1. रतनसिंह पुत्र बृजलाल, 2. बलराम, 3. विश्राम पुत्रान हरकिशन जातियान गुर्जन निवासियान बंजी थाना उच्चैन को गिरफ्तार किया गया है।

जानलेवा हमले के मामले का आरोपी पुलिस गिरफ्त में

- 1. थाना उच्चैन:-** गांव बंजी थाना उच्चैन निवासी **रतनसिंह** पुत्र बृजलाल जाति गुर्जर ने गांव चकखरका निवासी सुभाष वगैराह 6 जनों के विरुद्ध एकराय होकर प्रार्थी व उसके परिजनों के साथ लाठी-डण्डों से मारपीट कर जानलेवा हमला करने का एक मामला दिनांक 11.02.2018 को थाना उच्चैन पर मु0नं0 38/18 धारा 323, 341, 325, 307, 34 भा0द0स0 में पंजीबद्ध कराया था। श्री रामूसिंह हैड कानि द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. सुभाष पुत्र अमरसिंह जाति बंजारा निवासी चकखरका थाना उच्चैन** को गिरफ्तार किया गया है।
- 2. थाना कुम्हेर:-** गांव जधीना थाना उधोगनगर निवासी **गोविन्दसिंह** पुत्र दलपतसिंह जाति जाट ने गांव के ही कुलदीप वगैराह 3-4 जनों के विरुद्ध एकराय होकर प्रार्थी की गाडी में टक्कर मार देना व लाठी-डण्डों से मारपीट कर जान से खत्म करने के उद्देश्य से फायर करने का एक मामला दिनांक 13.02.2018 को थाना कुम्हेर पर मु0नं0 62/18 धारा 145, 147, 148, 149, 323, 341, 307 भा0द0स0 में पंजीबद्ध कराया था। श्री मुमताज अहमद उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. शेरसिंह पुत्र सतीशसिंह जाति जाट निवासी जधीना थाना उधोगनगर** को गिरफ्तार किया गया है।

नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी

करने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार

- 1. थाना मथुरागेट:-** पुष्प वाटिका कॉलोनी थाना मथुरागेट निवासी श्यामलाल पुत्र वीरीसिंह जाति जाट ने प्रार्थी के रिश्तेदार और मिलने वालो को नौकरी में लगाने को झांसा देकर दस लाख रूपये ले लेने को एक मामला दिनांक 15.10.2017 को थाना मथुरागेट पर 867/17 धारा 420, 406, 467, 468, आईपीसी में पंजीबद्ध कराया था। श्री नगेन्द्रसिंह स0उ0नि0 ने बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. सतवीर पुत्र गिर्राजसिंह जाति जाट निवासी सिपरौदा थाना फतेहपुरसीकरी जिला आगरा यूपी** को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना नदबई:**— ग्रीन पार्क दादी फाटक थाना झौटवाडा जयपुर शहर निवासी सत्यदेव पुत्र ए०एन० पाण्डे जाति ब्राहमण ने प्रकाश पंसारी पुत्र रघुनाथ पंसारी जाति वैश्य निवासी नन्दपुरी थाना सौडाला जयपुर के विरुद्ध प्रार्थी की शिव महिमा मिल्क आटा फैक्ट्री शाहपुरा से कुल चार बार में 3146420 रूपये का माल खरीद लेना व पैसे न देने का एक मामला दिनांक 04.03.2017 को थाना नदबई पर मु०न० 145/17 धारा 420, 406 आईपीसी में पंजीबद्ध कराया था। थानाधिकारी श्री अरुण चौधरी पु०नि० ने बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी 1. प्रकाश पंसारी पुत्र रघुनाथ पंसारी जाति वैश्य निवासी नन्दपुरी थाना सौडाला जयपुर को गिरफ्तार किया गया है।

अवैध चाकू सहित 6 जनें पुलिस शिकंजे में

1. **थाना अटलबंद:**— श्री मोतीलाल हैड कानि० मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर काली बगीची के पास से अवैध छुरा लेकर घूमते हुये पाये जाने पर आरोपी 1. रवि पुत्र जगदीश जाति बेडिया निवासी डयाबस्ती थाना अटलबन्द को एक अवैध चाकू (छुरा) सहित गिरफ्तार कर मु०न० 70/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
2. **थाना मथुरागेट:**— श्री धर्मसिंह उ०नि० मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर रीको क्षेत्र से अवैध छुरा लेकर घूमते हुये पाये जाने पर आरोपी 1. अनूप पुत्र नरेन्द्र जाति जाट निवासी तालफरा थाना कुम्हेर को एक अवैध चाकू (छुरा) सहित गिरफ्तार कर मु०न० 195/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
3. **थाना रूपवास:**— रूपवास पुलिस द्वारा गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर अलग-अलग स्थानों से अवैध छुरा लेकर घूमते हुये पाये जाने पर आरोपी 1. हरफूल पुत्र बूंदी जाति नट निवासी गोसांई घडी थाना फतेहबाद जिला आगरा हाल आबाद नगलादेविया थाना रूपवास व 2. रनवीर पुत्र गिराज जाति जाटव निवासी उंटगिरी (नई कालौनी) थाना खेरागढ जिला आगरा यू०पी० तथा 3. जौनी पुत्र हरिओम जाति हरिजन निवासी मैरथा थाना रूपवास को क्रमशः 1-1 अवैध चाकू (छुरा) सहित गिरफ्तार कर मु०न० क्रमशः 98, 99, 101/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किये गये है।
4. **थाना नगर:**— श्री गोविन्दप्रसाद स०उ०नि० मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर कस्बा नगर से अवैध छुरा लेकर घूमते हुये पाये जाने पर आरोपी 1. पिन्दू पुत्र मुकेश जाति सैनी निवासी कस्बा नगर को एक अवैध चाकू (छुरा) सहित गिरफ्तार कर मु०न० 74/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

ध्वनि प्रदूषण के मामलों के 2 आरोपी पुलिस शिकंजे में

1. **थाना भुसावर:**— थानाधिकारी श्री बनैसिंह उ०नि० मय जाप्ता द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान कस्वा भुसावर से ट्रैक्टर चालक **1. गोरधन पुत्र रमेश जाति ब्राह्मण निवासी महतौली थाना भुसावर** को ट्रैक्टर में डैकमशीन लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी टैम्पू चालक को गिरफ्तार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमारी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु०नं० 108/18 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
2. **थाना हलैना:**— श्री सुरेन्द्रसिंह उ०नि० मय जाप्ता द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान कस्वा हलैना से ट्रैक्टर के चालक **1. अनिलकुमार पुत्र चतरसिंह जाति जाट निवासी कबई थाना नदबई** को ट्रैक्टर में डैकमशीन लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमारी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु०नं० 53/18 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

अवैध शराब सहित 13 जनो को धर दबोचा

704 पक्वा अवैध देशी शराब व 18 लीटर कच्ची शराब बरामद

जिले में अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 704 पक्वा अवैध देशी व 18 लीटर अवैध कच्ची शराब जप्त कर 13 ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना चिकसाना:**— श्री रूपसिंह हैड कानि० द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव ठेई से **1. गोविन्द सिंह पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी ठेई थाना चिकसाना** को 96 पक्वा अवैध देशी शराब के गिरफ्तार कर मु०नं० 74/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
2. **थाना गढीबाजना:**— श्री हिम्मतसिंह हैड कानि० द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव रामपुरा से **1. रामवीर पुत्र रामप्रसाद जाति जाटव निवासी रामपुरा थाना गढीबाजना** को 67 पक्वा अवैध देशी शराब के गिरफ्तार कर मु०नं० 21/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

3. **थाना सीकरी:**— श्री भूरीसिंह स०उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव कुकरैन कॉलोनी से 1. दयालसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति रायसिक्ख निवासी कुरकैन कॉलोनी थाना सीकरी को 8 लीटर अवैध हथकड शराव के गिरफ्तार कर मु०नं० 57/18 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
4. **थाना अटलबंद:**— श्री प्रहलादसिंह हैड कानि० द्वारा मुखविर की सूचना पर हीरादास चौराहा से 1. वनैसिंह उर्फ नंगा पुत्र लटूर जाति जाटव निवासी विजयनगर कॉलोनी थाना अटलबंद को 57 पक्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु०नं० 71/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
5. **थाना रूपवास:**— रूपवास पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग-अलग स्थानों से 1. हाकिमसिंह पुत्र बुद्धीराम जाति चौबदार निवासी दाऊदपुर थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा यू०पी०, 2. हिम्मत पुत्र मिश्रीलाल जाति जाटव निवासी नानकपुर थाना रूपवास, 3. रमेशचन्द पुत्र धर्मा जाति जाटव निवासी जटमासी थाना रूपवास, 4. राजेन्द्र पुत्र लालारमा जाति जाटव निवासी कस्वा रूपवास, 5. सुनील पुत्र मानसिंह जाति जाटव निवासी चैकोरा थाना रूपवास, 6. अतरसिंह पुत्र नन्दराम जाति कुशवाह निवास नगंला करील थाना रूपवास को गिरफ्तार किया गया है। व 7. हरीमोहन पुत्र रामचरन जाति जाटव निवासी नानकपुर थाना रूपवास पुलिस को बावर्दी आता देख शराब को मौके पर छोड़ फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। जिनके कब्जे से क्रमशः 57, 57, 56, 56, 56, 56 पक्वा अवैध देशी शराव को जप्त कर उक्त पर मु०नं० क्रमशः 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
6. **थाना भुसावर:**— श्री ओमप्रकाश स०उ०नि० द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्वा भुसावर से 1. भगवानसिंह पुत्र बिहारीलाल जाति माली निवासी कस्वा भुसावर को 42 पक्वा अवैध देशी शराव के जप्त कर गिरफ्तार कर थाने पर मु०नं० 109/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
7. **थाना डीग:**— श्री सूर्यवीरसिंह स०उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर मालीपुरा रोड से 1. रामकुमार पुत्र लटूर जाति नाई निवासी दौसरस थाना गोवर्धन जिला मथुरा यूपी को 10 लीटर अवैध हथकड शराव के गिरफ्तार कर मु०नं० 118/18 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
8. **थाना वैर:**— श्री धनपतसिंह स०उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव गौठरा से 1. नेता पुत्र मलूक जाति गुर्जर निवासी खैरा थाना वैर को 48 पक्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु०नं० 53/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

14 स्थाई वारंटी / वारंटी बन्द हवालात

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों से 5 स्थाई वारंटी व 9 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है।

- 1. थाना कोतवाली भरतपुर:-** श्री रामकेश उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर कच्ची बस्ती से वारंटी 1. श्रीमती राजवन्ती पत्नी कप्तान, 2. श्रीमती सुषीला पत्नी कि"ान उर्फ रवि, 3. श्रीमती सपना पुत्री कप्तान जातियान वावरिया निवासीयान कच्ची बस्ती रनजीत नगर थाना कोतवाली भरतपुर व स्थाई वारंटी 4. अतरसिंह पुत्र गणेशीलाल जाति सैनी निवासी तसई थाना कठूमर जिला अलवर, 5. अशोक पुत्र श्यामप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी बहेनेरा थाना सेवर को गिरफ्तार किया गया है।
- 2. थाना गढीबाजना:-** थानाधिकारी श्री रामदयाल उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर जैसोरा मोड से स्थाई वारंटी 1. वृषभान उर्फ वृजभान पुत्र जगन उर्फ शिवसहाय जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा थाना महुआ जिला दौसा को गिरफ्तार किया गया है।
- 3. थाना हलैना:-** थानाधिकारी श्री विनोद कुमार उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर पाली रोड से वारंटी 1. बाबूलाल पुत्र रतन जाति माली निवासी कस्वा हलैना को गिरफ्तार किया गया है।
- 4. थाना नगर:-** श्री गोविन्दप्रसाद स०उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा नगर से वारंटी 1. पप्पूराम पुत्र ईश्वर प्रसाद जाति कोली निवासी कायस्थ मौहल्ला कस्वा नगर को गिरफ्तार किया गया है।
- 5. थाना वैर:-** श्री धनपतसिंह स०उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग-अलग स्थानों से वारंटी 1. रामफूल पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर निवासी खोहरी थाना वैर 2. राजेश पुत्र दरव जाति गुर्जर निवासी रायपुर थाना वैर को गिरफ्तार किया गया है।
- 6. थाना रूपवास:-** श्री रामभरोसी स०उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा रूपवास से स्थाई वारंटी 1. कलुआ पुत्र जौहरी जाति बाबरिया निवासी ढाना थाना रूपवास को गिरफ्तार किया गया है।

7. **थाना जुरहरा:**— श्री खैमसिंह स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर जंगल जुरहरी से स्थाई वारंटी 1. साकिर पुत्र भोपत जाति मेव निवासी हथनगांव थाना बिछौर जिला नूंह मेवात हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है।
8. **थाना अटलबंद:**— अटलबंद पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अलग-अलग स्थानों से वारंटी 1. भगवान सहाय पुत्र पूरनमल जाति माली निवासी राजगढ थाना राजगढ जिला अलवर, 2. चरनसिंह पुत्र दौलतराम जाति नाई निवासी नीमदागेट थाना अटलबंद को गिरफ्तार किया गया है।

5 शराबी वाहन चालक पुलिस पकड में

1. **थाना वैर:**— श्री धनपतसिंह स0उ0नि0 द्वारा थाने के सामने से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक 1. रामवीर पुत्र रामदयाल जाति गुर्जर निवासी तंवरगढ थाना वैर को गिरफ्तार कर वाईक को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।
2. **थाना रूपवास:**— श्री बालकृष्ण स0उ0नि0 द्वारा कस्वा रूपवास से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक 1. सरवेन्द्र पुत्र विजेन्द्र जाति लोधा निवासी खेरिया लोधा थाना रूपवास, 2. युवराज पुत्र पूरनसिंह जाति जाटव निवासी नगला खान थाना रूपवास, 3. महेश पुत्र ओमप्रकाश जाति हरीजन निवासी कस्वा रूपवास को गिरफ्तार कर तीनों वाईको को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।
3. **थाना हलैना:**— श्री नरेन्द्रकुमार हैड कानि0 द्वारा कस्वा हलैना से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक 1. अशोक सैन पुत्र बाबूलाल जाति नाई निवासी वेवर थाना हलैना को गिरफ्तार कर वाईक को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 9 जने गिरफ्तार

1. **थाना भुसावर:**— श्री जयसिंह हैड कानि0 द्वारा कस्वा भुसावर से 1. बाबू पुत्र भवानी व 2. कमल पुत्र तुहीराम जातियान सैनी निवासियान कस्वा भुसावर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

- 2. थाना रूपवासः—** रूपवास पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 1. प्रमोद पुत्र नेहने जाति हरीजन निवासी मदीना कॉलोनी थाना कोतवाली जिला धौलपुर 2. करतार पुत्र कलुआ जाति लोधा निवासी खेरिया लोधा थाना रूपवास, 3. अशोक पुत्र श्रवण, 4. जगन पुत्र रामकिशन जातियान जाटव निवासियान नगला खान थाना रूपवास, 5. बनवारी पुत्र प्रेमसिंह जाति जाटव निवासी जौतरोली थाना रूपवास, 6. नरेश पुत्र सुन्दरलाल जाति जाटव निवासी खेडली थाना रूपवास, 7. कलुआराम पुत्र भूपसिंह जाति प्रजापत निवासी ढाहना थाना रूपवास हाल गोलपुरा भरतपुर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 10 जनों को किया गिरफ्तार

- 1. थाना कोतवाली भरतपुरः—** श्री राजवीरसिंह हैड कानि⁰ द्वारा थाना परिसर से 1. रामबाबू व 2. रतनसिंह पुत्रान जमनीरम जाति कोली निवासी कोडियान मौहल्ला थाना कोतवाली भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।
- 2. थाना हलैनाः—** हलैना पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 1. रामेश्वरदयाल पुत्र झुन्नीराम जाति ब्राहमण निवासी जहानपुर थाना हलैना 2. गोपीराम पुत्र उम्मेदीराम जाति माली निवासी जहानपुर थाना हलैना 3. धनवीरसिंह पुत्र सुमरनसिंह जाति जाट निवासी हरसुख थाना हलैना को गिरफ्तार किया गया है।
- 3. थाना रूपवासः—** रूपवास पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 1. बकील पुत्र झम्मन जाति जाटव निवासी सज्जनवास थाना रूपवास, 2. बनवारी पुत्र सोरन जाति कढेरा निवासी कस्वा रूपवास को गिरफ्तार किया गया है।
- 4. थाना बयानाः—** श्री साहबसिंह हैड कानि⁰ द्वारा थाना परिसर से 1. ज्वाला पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी नगला ज्ञानी थाना बयाना को गिरफ्तार किया गया है।
- 5. थाना उधोगनगरः—** श्री पृथ्वीराज हैड कानि⁰ द्वारा थाना परिसर से 1. मुकेशसिंह पुत्र देवीराम जाति बघेल निवासी ताखा थाना उधोगनगर 2. भवानी पुत्र रघुनाथ जाति राजपूत निवासी कूपारी थाना खईया जिला बालेश्वर उडीसा को गिरफ्तार किया गया है।

159 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **159** वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ओवरलोड कार्यवाही में **86** वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सड़कों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी **14** वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में **59** वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।